राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–425/2025

ममता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बाल प्रमुख) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. कुलदीप सिंह चौहान, क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्रेड–II उप वन संरक्षक, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को रेंज जमवारामगढ उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर (उपवन संरक्षक, सीकर) में स्थानांतरण किया गया। आदेश दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नक–8) से अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री कुलदीप सिंह चौहान को कार्यमुक्त किया गया। उक्त दोनों आदेश निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 कुलदीप सिंह जो जयपुर उत्तर में स्थानांतरणाधीन था, को रेंज जमवारामगढ उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर में स्थानांतरित कर मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से किया गया आदेश है, जिसे उक्त दोनों आदेशों को अपास्त किया जाकर दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी का रेंज जमवारामगढ उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर से विकास

अधिकारी, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर (उपवन संरक्षक, सीकर) में किया गया आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. हम पाते है कि जैसे कि अपीलार्थी ने कथन किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री कुलदीप सिंह को समंजन जयपुर में किए जाने के उद्देश्य आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को रेंज जमवारामगढ उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर (उपवन संरक्षक, सीकर) में स्थानांतरण किया गया है, न तो कहीं दस्तावेजों से और न ही अपीलार्थी के अभिकथन से स्पष्ट होता है। राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है कि वह अपने नियोक्ता को आवश्यकता के मद्देनजर राज्यहीत में उपयोग में ले। किसी भी कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसे एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. राज्य सरकार को क्षेत्राधिकार है कि मात्र किसी समायोजित करने के उद्देश्य से अकारण प्रतीत होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नक–8) में किसी प्रकार की त्रुटि तथा नियम–विरूद्धता नहीं होने से अपास्त किया जाना उचित नहीं है।

6. वर्तमान में अपीलार्थीगण का प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है जिससे प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अपनी संतुष्टी के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य